पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका विद्यार्थियों तथा बालक विद्यार्थियों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन (खण्डवा जिले के संदर्भ में)

अशोक कुमार नेगी एवं डॉ.ज्योत्स्ना खरे

शोधार्थी, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल तथा प्राचार्या, एन. ई. एस. महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)

शोधसार–

प्रस्तुत अध्ययन द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका विद्यार्थियों तथा बालक विद्यार्थियों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन सत्र् २०१७–१८ में किया गया । राज्य शासन ने १ अप्रैल २०१० से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ लागू करने के साथ परीक्षा के स्थान पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन अनिवार्य किया। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण के साथ–साथ चलने वाली सतत् प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षिक क्षेत्रों के साथ सह–शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत–सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। विद्यालयों में इन गतिविधियों के संचालन पर अध्ययनरत बालिका विद्यार्थियों तथा बालक विद्यार्थियों के अभिमत प्राप्त कर उनका विश्लेषण व तुलनात्मक मध्यमान से प्राप्त परिणाम का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श खण्डवा जिले के सभी ०७ विकासखण्डों में से ५४ शासकीय माध्यमिक विद्यालयों से प्रत्येक से १०–१० इस प्रकार २८० बालिका एवं २६० बालक विद्याथियों कुल ५४० विद्याथियों कों न्यादर्श के रूप में लिया है। अध्ययन के निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि

परिचय –

राज्य शासन ने १ अप्रैल २०१० से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ लागू करने के साथ परीक्षा के स्थान पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन अनिवार्य किया। शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सी.सी.ई. को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य की समस्त शासकीय व अशासकीय शालाओं (अनुदान प्राप्त शालाओं सहित) में कक्षा पहली से आठवीं तक लिए विद्यार्थी मूल्यांकन हेतु नवीन निर्देश सत्र् २०११–१२ के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ – साथ विद्यार्थियों के लिए सी.सी.ई. के तहत् शैक्षिक क्षेत्र ,सहशैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जा रहा है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण के साथ–साथ चलने वाली सतत् प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षिक क्षेत्रों के साथ सह–शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत–सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है।

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सी.सी.ई. में कक्षा पहली से आठवीं तक के लिए विद्यार्थी मूल्यांकन हेतु वर्तमान निर्देश सत्र् विगत सत्र् अनुसार ही हैं, तदनुसार समस्त शासकीय व अशासकीय शालाओं में विद्यार्थी के श्शैक्षिक, सहशैक्षिक व व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का सत्र भर मूल्यांकन किया जाता है। शालाओं में इन गतिविधियों के संचालन पर आधारित अभिलेख संधारण भी किया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ के चेप्टर – द्वितीय, सेक्शन–९ (डी,सी,एच) के अनुसार १४ वर्ष की उम्र तक के बच्चे का समस्त रिकार्ड संकलित करना व रिकार्ड रखना सुनिश्चित करने का उल्लेख किया गया है।

प्रस्तुतशोध द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन में अभिलेख संधारण की भूमिका को स्पष्ट करने का प्रयास कर उसमें आने वाली कठिनाई का अध्ययन कर उसके निराकरण हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये हैं, जिसका लाभ सभी शिक्षक साथियों को मिल सकेगा ।

समस्या कथन – पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका विद्यार्थियों तथा बालक विद्यार्थियों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन (खण्डवा जिले के संदर्भ में)

उद्देश्य –

१– पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

२– पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका विद्यार्थियों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

३– पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक विद्यार्थियों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

सीमाएँ –

इस अध्ययन में न्यादर्श के रूप में खण्डवा जिले के सभी ०७ विकासखण्डों के माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया है। न्यादर्श प्रत्येक विकासखण्ड के शासकीय विद्यालयों से लिया गया ।

परिकल्पना –

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका विद्यार्थियों तथा बालक विद्यार्थियों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण मध्यमान में सार्थक अन्तर नही है।

न्यादर्श –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श खण्डवा जिले के सभी ०७ विकासखण्डों में से ५४ शासकीय माध्यमिक विद्यालयों से प्रत्येक से १०–१० इस प्रकार २८० बालिका एवं २६० बालक विद्याथियों कुल ५४० विद्याथियों कों न्यादर्श के रूप में लिया है।

उपकरण –

शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित दृष्टिकोण मापनी जो कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रति बालिका विद्यार्थियों तथा बालक विद्यार्थियों से प्राप्त एवं शोध के उद्देश्य पूर्ति पर आधारित शैक्षिक क्षेत्र सम्बन्धी कथन ,सहशैक्षिक क्षेत्र सम्बन्धी कथन, व्यक्तिगत, सामाजिक गुण सम्बन्धी कथन, कार्य बोझ, तनाव–दबाव सम्बन्धी सम्बन्धी कथन, विभिन्न गतिविधियों;स्वास्थ्य परीक्षण/शैक्षणिक भ्रमणद्ध के संचालन सम्बन्धी कथन उत्कृष्ट/ प्रेरणादायी/उपलब्धि प्रदर्शन सम्बन्धी कथन अंतर्गत ,विभिन्न गतिविधियों में पालक सपोर्ट सम्बन्धी कथन जिसके माध्यम से मतावली से अभिमत प्राप्त किये गये हैं जो कि प्रमुख ७ कथनों एवं इन समस्त कथनों के उपकथनों को लिया जिसमें चार या पांच उपकथन इस प्रकार ३५ उपकथन के द्वारा दृष्टिकोण मापनी निमि ात कर अध्ययन पूर्ण किया गया।

विश्लेषण एवं सारणीयन –

सारणी क्रमांक–१ सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति बालिका विद्यार्थियों तथा बालक विद्यार्थियों का दृष्टिकोण मध्यमान

Gender of Students	न्यादर्श का आकार (N)	मध्यमान (MEAN)	प्रमाणिक विचलन (SD)	स्वतंत्रता अंश (DF)	गणना से प्राप्त टी का मान (T- value)	सार्थकता स्तर	मान	Significant
Female	२८०	२२२.०८	५९.६२	५३८	०.११४	.०१	२.५९	Accepted
Male	२६०	२००.३७	५७.०३८			.०५	१.९६	Accepted

आरेख क्रमांक १ –सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति बालिका विद्यार्थियों तथा बालक विद्यार्थियों का दृष्टिकोण मध्यमान सम्बन्धी

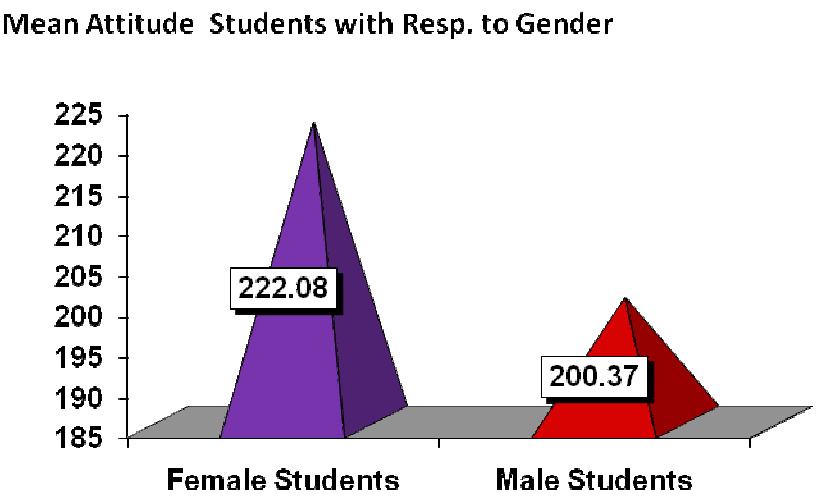

सारणी क्रमांक २. अर्थापन (Interpretation)-

स्वतंत्रता अंश	सार्थकता स्तर	तालिका मान	तुलना टी मान	गणना से प्राप्त टी का मान	तुलना तालिका मान से टी का गणना मान	मध्यमान अन्तर	Significant
५३८	.०१	२.५९	>	०.११४	कम है	सार्थकनहीं है	Accepted
५३८	.०५	१.९६	>	०.११४	कम है	सार्थकनहीं है	Accepted

गणना द्वारा प्राप्त टी का मान ०.११४ है,

इसकी सार्थकता के लिये

टी का स्वतंत्रता अंश डी.एफ. = ५३८ है ।

टी तालिका में स्वतंत्रता अंश डी.एफ. = ५३८ पर

स्तर .०१ मान २.५९ है तथा स्तर .०५ मान १.९६ है ।

गणना द्वारा प्राप्त टी का मान ०.११४ डी.एफ. = ५३८ पर

टी तालिका के दोनों मान से कम है।

अत: हमारे द्वारा ली गई परिकल्पना –

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका विद्यार्थियों तथा बालक विद्यार्थियों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण मध्यमान में सार्थक अन्तर नहीं है। निरस्त नहीं होती है ।

मुख्य संप्राप्तियां एवं निष्कर्ष –

- औसतन ९७% बालिका विद्यार्थी एवं ९५% बालक विद्यार्थी मानते हैं कि शाला में शैक्षिक क्षेत्र सम्बन्धी गतिविधियां होती हैं।
- औसतन ७५% बालिका विद्यार्थी एवं ७४% बालक विद्यार्थी मानते हैं कि शाला में शैक्षिक कार्य के साथ –साथ सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जिसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक व सृजनात्मक गतिविधियों में बच्चे सहभागिता करते हैं।
- औसतन ९०% बालिका विद्यार्थी एवं ९०% बालक विद्यार्थी मानते हैं कि शाला में व्यक्तिगत, सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जिसमें अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, आपसी सहयोग संवेदनशीलता, नेतृत्व क्षमता, शाला में स्वच्छता ,साफ–सफाई, प्रोजेक्ट कार्य, समूहकार्य गतिविधियों में बच्चे सहभागिता करते हैं।
- औसतन ३९% बालिका विद्यार्थी एवं ४१% बालक विद्यार्थियों का अभिमत है कि शाला में कार्य बोझ, तनाव–दबाव सम्बन्धी कथनों से सहमत हैं।
- अभिमतानुसार औसतन ८०% बालिका विद्यार्थी एवं ६५% बालक विद्यार्थियों का अभिमत है कि शाला में विभिन्न गतिविधियों; स्वास्थ्य परीक्षण/शैक्षणिक भ्रमणद्ध के संचालन सम्बन्धी कथनों से सहमत हैं।
- औसतन ८१% बालिका विद्यार्थी एवं ८०% बालक विद्यार्थियों का अभिमत है कि शाला में विभिन्न गतिविधियों उत्कृष्ट/प्रेरणादायी/उपलब्धि प्रदर्शन सम्बन्धी कथनों से सहमत हैं।
- औसतन ८१% बालिका विद्यार्थी एवं ८०% बालक विद्यार्थियों का अभिमत है कि शाला में विभिन्न गतिविधियों के संचालन में पालक सपोर्ट सम्बन्धी सम्बन्धी कथनों से सहमत हैं।

परिणाम –

- कुल औसतन ९६% विद्यार्थी मानते हैं कि शाला में शैक्षिक क्षेत्र सम्बन्धी गतिविधियां होती हैं।
- औसतन ७५% विद्यार्थी मानते हैं कि शाला में सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जिसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक व सृजनात्मक गतिविधियों में बच्चे सहभागिता करते हैं।

कुल औसतन ९०% विद्यार्थी मानते हैं कि शाला में व्यक्तिगत, सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जिसमें अनुशासन,कर्तव्यनिष्ठा,आपसी सहयोग संवेदनशीलता, नेतृत्व क्षमता, शाला में स्वच्छता, साफ–सफाई, प्रोजेक्ट कार्य, समूहकार्य गतिविधियों में बच्चे सहभागिता करते हैं।

- कुल औसतन ४५% विद्यार्थियों का अभिमत है कि शाला में कार्य बोझ, तनाव–दबाव सम्बन्धी कथनों से सहमत हैं।
- कुल औसतन ७३% विद्यार्थियों का अभिमत है कि शाला में विभिन्न गतिविधियों के संचालन सम्बन्धी कथनों से सहमत हैं।
- कुल औसतन ८०% विद्यार्थियों का अभिमत है कि शाला में विभिन्न गतिविधियों उत्कृष्ट/ प्रेरणादायी/ उपलब्धि प्रदर्शन सम्बन्धी कथनों से सहमत हैं।
- शाला में विभिन्न गतिविधियों के संचालन में पालक सपोर्ट सम्बन्धी सम्बन्धी कथनों से सहमत हैं।

सुझाव –

- प्रत्येक गतिविधि के विधिवत संचालन हेतु संस्था में पदस्थ प्रत्येक शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जावे। जिससे शाला में कार्य बोझ, तनाव–दबाव सम्बन्धी कार्य व बिन्दुओं कम किया जा सके। सभी गतिविधियों के विधिवत कार्यान्वियन की सतत् मॉनीटरिंग भी की जावे। मॉनिटरिंग दल द्वारा दिये जाने वाले सुझाव को अमल में लाने के लिए उच्च कार्यालय द्वारा सर्व सम्बन्धित को निर्देशित किया जावे। शाला प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक एवं पालक सम्मेलन में आवश्यक कार्ययोजना बना कर चर्चा में गतिविधियों पर संवाद अवश्य किया जावे व प्राथमिकता से कार्ययोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के सतत् प्रयास किये जावें।

संदर्भ ग्रन्थ

१ डॉ. शर्मा. आर.ए. (२०११) – शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, आर.लाल बुक डिपो,मेरठ

२ राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा प्रकाशित – सतत्–व्यापक मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश २०१०–११ (म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा वभाग)

३ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या २००५ – राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

४ शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ – भारत शासन का राजपत्र

५ प्रशिक्षण मॉड्युल – २०११ (सामर्थ्य)

६ माथुर, डॉ० एस.एस.,(१९९५).'' शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षा''., आगरा : लायल बुक डिपो,

७ भटनागर, ए.बी..,(१९९२).'' मापन एवं मूल्यांकन ''., मेरठ : आर. लाल बुक डिपो.